झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा नेतरहाट विद्यालय एवं इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना एवं कोल्हान प्रमण्डल में संचालित आवासीय विद्यालय तथा इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग के सत्र 2017-18 में कक्षा-6 में नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 38/2017

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 778 दिनांक 18.05.2017 तथा ज्ञापांक 133 दिनांक 16.06.2017 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर बालिकाओं के लिए दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल के राँची/खुंटी में आवासीय बालिका विद्यालय एवं बालकों के लिए संथाल परगना प्रमण्डल में दुमका तथा कोल्हान प्रमण्डल के चाईबासा में आवासीय बालक विद्यालय एवं पत्रांक 328 दिनांक 08.11.2016 एवं परीक्षा संचालन समिति की बैठक दिनांक 20.02.2017 के आलोक में इंदिरा गाँधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग के वर्ग 6 में शिक्षा सत्र 2017-18 में नामांकन हेतु एक स्तरीय लिखित परीक्षा आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

एतद् द्वारा संबंधित छात्र/छात्राएँ, जो निम्नांकित योग्यता एवं अर्हत्ता रखते हैं, से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

(क) झारखण्ड राज्य के मूल निवासी / स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
(ख) 01 अगस्त, 2017 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो।
(ग) किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय में पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा छः में अध्ययनरत हों।
(घ) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि/जाति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुपलब्धता की स्थिति में वे आवेदन जमा कर सकते हैं, परन्तु नामांकन के समय उन्हें मूल रूप से या सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थित्व रद्द समझा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन में भरे गए कोटि का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2) सादा परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 10.07.2017 से परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in या www.jac.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

3) भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 10.07.2017 से 27.07.2017 तक जमा किया जा सकता है।

4) **सामान्य निर्देश:** (i) लिखित परीक्षा OMR शीट के माध्यम से लिए जायेंगे। (ii) परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ट व बहुविकल्पीय होंगे। (iii) संबंधित प्रत्येक विद्यालय के लिये 100 सीट निर्धारित हैं। इन्हीं सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियम के तहत् मेधा क्रम में छात्र/छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय, दो पालियों में (2:30 घंटे की प्रत्येक पाली) तथा निम्नांकित विषयों में होगी। 15 मिनट का समय प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए तथा 15 मिनट का समय OMR भरने के लिए दी जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् है:-

परीक्षा कार्यक्रम

क्रम सं.	परीक्षा के विषय	अंक	विषय के अन्तर्गत समाहित विषय	अंक विभाजन	समूह	परीक्षा की तिथि, समय एवं पाली
01.	गणित	50			A	05-08-2017 प्रथम पाली (10:00 से 12:30 बजे तक)
02.	सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान	50	सामाजिक अध्ययन (इतिहास, नागरिक, भूगोल)	20		
			सामान्य ज्ञान	10		
			सामान्य विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान)	20		
03.	भाषा	50	हिन्दी	50	B	05-08-2017 द्वितीय पाली (1:30 से 4:00 बजे तक)
04.	मानसिक योग्यता	50		50		

नोट: मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न आकृतियाँ एवं चित्रों पर आधारित होंगे। सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान तथा भाषा एवं गणित परीक्षा का पाठ्य क्रम वर्ग 05 में पढ़ाये जानेवाले पाठ्य क्रम पर आधारित होगा और उनके कठिनाई का स्तर कक्षा छः की होगी।

(iv) लिखित प्रवेश परीक्षा प्रत्येक जिला मुख्यालय में दिनांक 05 अगस्त, 2017 को उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार दो पालियों में आयोजित की जायेगी।

(v) परीक्षा आवेदन प्रपत्र के साथ 200/- (दो सौ रुपये) मात्र शुल्क बैंक ड्राफ्ट, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा "JAC FUND" के नाम से निर्गत एवं राँची में भुगतेय हो, के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए यह शुल्क 100/- (एक सौ रुपये) मात्र होगा।

(vi) परीक्षा आवेदन प्रपत्र में यथास्थान चिपकाये गये फोटो के ठीक नीचे निर्धारित स्थान पर छात्र/छात्रा अपना हस्ताक्षर करेंगे।

(vii) भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परीक्षार्थी के अध्ययनरत् मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अग्रसारित होना आवश्यक है।

(viii) भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करने की निर्धारित तिथि के उपरान्त आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे। भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को निर्गत किया जायेगा।

(ix) प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भरे हुए परीक्षा आवोदन प्रपत्र (आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति सहित) को कोटिवार व्यवस्थित कर दिनांक 29.07.2017 तक सशुल्क जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

(x) जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं बैंक ड्राफ्ट की कोटिवार समेकित सूची प्रपत्र (परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये) में उर्पयुक्त कंडिका 1 (घ) के आलोक में तैयार कर दिनांक 02.08.2017 तक परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करेंगे।

(xi) जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्रों एवं आवासीय तथा जाति प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी। जाँचोंपरान्त सही पाये जाने पर प्रपत्र में क्रमांक आवंटित करते हुए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे।

(xii) क्रमांक आवंटित इस क्रम में किया जायेगा:-
प्रमण्डल कोड+जिला कोड - क्रमांक (4 digit - 0001 to ....)
प्रमण्डल कोड- दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची (1); उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग (2); संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका (4); कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा (5) - जिस प्रमण्डल के विद्यालय के लिए आवेदन भरा जा रहा है।
जिला कोड:- राँची-01; गुमला-02; लोहरदगा- 03; सिमडेगा-04; खुंटी-05; हजारीबाग-06; गिरिडीह-07; धनबाद-08; चतरा-09; बोकारो-10; कोडरमा-11; रामगढ़-12; पलामू-13; गढ़वा-14; लातेहार-15; दुमका-16; देवघर-17; साहेबगंज-18; पाकुड़-19; गोड्डा-20; जामताड़ा-21; पूर्वी सिंहभूम-22; पश्चिमी सिंहभूम-23; सरायकेला-खरसावां-24- जिस जिला से आवेदन भरा जा रहा है।
(उदाहरण स्वरूप- दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के विद्यालय के लिए राँची जिला द्वारा निर्धारित किया जानेवाला क्रमांक- 1010001)

(xiii) उम्र निर्धारण के संबंध में चिकित्सक दल (Medical Board) का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट:- विज्ञप्ति प्रकाशित करने में पूरी सावधानी बरती गई है। कोई भी त्रुटि या अस्पष्टता की स्थिति में इस विज्ञप्ति में संशोधन/संवर्द्धन किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/इंदिरागाँधी/2133/17/SECY/354/17,Dt. 07.07.2017
D.O.P: 08.07.2017

12X27